रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02042024-253512
CG-DL-E-02042024-253512

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1514] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 2, 2024/चैत्र 13, 1946
No. 1514] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 2, 2024/CHAITRA 13, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2024

का.आ. 1595(अ).—मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 58 की उपधारा (3) एवं धारा 110 की उपधारा (3) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से बारह महीने की अवधि के लिए, एक 'कन्वर्टर ट्रांसफार्मर' का, पावर ग्रिड, कनिहा (ओडिशा) से सीमेंस ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, कलवा, ऐरोली (महाराष्ट्र) तक सड़क मार्ग से परिवहन के लिए, जिनका अधिकतम सुरक्षित लदान भार/कुल सकल भार और आकार संलग्न अनुसूची में उल्लिखित है, अनुमोदन प्रदान करती है।

अनुसूची

1. मेसर्स सीजे डार्सल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड उपरोक्त प्रचालन में एक 'कन्वर्टर ट्रांसफार्मर' के परिवहन के लिए, मेसर्स पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का ट्रांसपोर्टर है।

2. निम्नलिखित प्राइम मूवर्स, खेप की आवाजाही में इस्तेमाल किए जाएगें, जैसा कि नीचे दिया गया है:-

क्रम सं	प्राइम मूवर्स की रेजिस्ट्रीकरण संख्या	मेक
1.	एचआर 38यू7281	वोल्वो - एफएच-520
2.	एचआर 38यू9081	वोल्वो - एफएच-520
3.	एमएच 04ईएल3681	वोल्वो - एफएच-520
4.	एमएच43यू8883	वोल्वो - एफएच-520

5.	एनएल02के6801	वोल्वो - एफएच-520
6.	एमएच 04एचडी3273	वोल्वो - एफएम - 440
7.	एमएच 04एचडी3274	वोल्वो - एफएम - 440
8.	एमएच 04एचडी3275	वोल्वो - एफएम - 440

3. उपरोक्त प्रचालन के लिए निम्नलिखित स्वतंत्र रेजिस्ट्रीकृत माडुलर हाईड्रोलिक ट्रैलर्स इस्तेमाल किए जाएगें:-

क्रम सं	**ट्रैलरों की रेजिस्ट्रीकरण संख्या**	**मेक**	**ट्रैलरों मे धुरियों की संख्या**	**अनुमेय सकल यान भार (टन में)**
1.	एचआर55पी7274	गोल्डहोफर	4	104
2.	एचआर 55एस9643	गोल्डहोफर	4	104
3.	एचआर 55एस9651	गोल्डहोफर	6	156
4.	एचआर 55एस9653	गोल्डहोफर	4	104
5.	एचआर 55एस9649	गोल्डहोफर	6	156
6.	एचआर 55पी9946	गोल्डहोफर	6	156
7.	एचआर 55पी9948	गोल्डहोफर	4	104
8.	एचआर 39ई6308	टीआईआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	6	156
9.	एचआर 39ई5668	टीआईआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	6	156
10.	एचआर 39ई0510	टीआईआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	4	104
11.	एचआर 39ई7623	टीआईआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	4	104

4. यान और भार विन्यास:- लदी स्थिति में धुरी का सकल यान भार (जीवीडब्ल्यू) और खेप का समग्र आयाम होगा: -

क्रम सं.	**खेप का नाम**	**खाली धुरी पंक्तियों का भार (टन में)**	**खेप का भार (टन में)**	**यान का लदान के साथ भार (टन में)**	**लोड प्रति एक्सल लाइन (टन में)**	**यान की लदान के साथ ऊँचाई (मीटर में)**	**खेप का समग्र आयाम (मीटर में) (लंबाई x चौड़ाई x ऊँचाई)**			**लंबाई और चौड़ाई में धुरों के युग्मन का विवरण**
							लं (मी)	**चौ. (मी)**	**ऊँ. (मी)**	
1	कन्वर्टर ट्रांसफार्मर	66	318	384	19.2	6.22	10.6	4.9	5.05	20 धुरी पंक्तियां को सीधी रेखा जोड़ा जाएगा। (8 टायर प्रति धुरा पंक्ति)

5. उपरोक्त छूट इन शर्तों के अधीन है कि:-

(i) उपरोक्त अधिक आयामी खेप का परिवहन, विशिष्ट मार्ग, कनिहा (ओडिशा) से ऐरोली (महाराष्ट्र) तक, इस सड़क मार्ग के जरिए होगा-

कनिहा - तालचेर - बनारपाल - बोइंदा - रेढ़ाखोल - मानेस्वर - माटुपल्ली - बिंका - बिसलपल्ली - गोदाभागा - रायपुर - राजनांदगांव - गढ़चिरौली - बल्लारपुर - चंद्रपुर - वानसाडी - आदिलाबाद - पीपरवाड़ा - केलापुर टोल - दारोदा - बुटीबपोरी - समृद्धि महामार्ग वेफल टोल - भारवीर खुर्द - इगतपुरी - घोटी टोल प्लाजा - वडापे - कोनगांव - कल्याणसिटी - तलोजा - शिलफाटा - महापे - घनसोली

फ्लाईओवर ब्रिज - ऐरोली - (1400 किमी); या

कनिहा - तालचेर - पितिरी - पल्लाहारा - बारकोटे - देवगढ़ - तिलीबन - सिंधुपंक - मानेस्वर - माटुपल्ली - बिंका - बिसलपल्ली - गोदाभागा - नागपुर बाईपास - अमरावती - भुसावल - जलगांव - धुले - मालेगांव - नासिक - इगतपुरी - वडापे - कोनगांव - कल्याणसिटी - तलोजा - शिलफाटा - महापे - घनसोली फ्लाईओवर ब्रिज - ऐरोली। (1841 किमी)

(ii) लोक निर्माण विभाग/स्थानीय प्राधिकारियों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ एनएचआईडीसीएल द्वारा विभिन्न सड़कों और पुलों के लिए विनिर्दिष्ट भार प्रतिबंधों का अनुपालन किया जाएगा और यानों को सड़कों पर लाने से पहले, ऐसे प्राधिकारियों से अनुमति ली जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से ट्रैलरों का प्रत्येक प्रचालन राज्य/संघ शासित प्रदेश/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संबंधित परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और उस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

(iii) ट्रांसपोर्टर इस तरह के प्रतिबंधों का पालन करेगा जैसा कि राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ एनएचआईडीसीएल इस संबंध में आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकता है।

(iv) ट्रांसपोर्टर, यानों को सड़कों पर लाने से पहले, किसी भी वस्तु जैसे होर्डिंग्स, पोल, साइनबोर्ड को हटाने के लिए, ट्रांसमिशन लाइन बंद कराना इत्यादि के लिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के संबंधित विभागों से आवश्यक पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा और इस तरह के प्रतिबंधों का पालन करेगा जैसा कि राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ एनएचआईडीसीएल इस संबंध में आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा अनुमत, किसी भी वस्तु को हटाने और पुनर्विकास कराने की लागत मेसर्स सीजे डार्सल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड द्वारा वहन की जाएगी।

(v) ट्रांसपोर्टर बड़े आकार के कार्गो को देखते हुए, ऐसे यानों की प्रत्येक आवाजाही के संबंध में राज्य सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ एनएचआईडीसीएल द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकरण या अधिकारी को कम से कम दस दिन पहले सूचना देगा। ऐसे प्रत्येक गमनागमन के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय निर्धारित किया जाना चाहिए।

(vi) यदि ऐसा किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ एनएचआईडीसीएल के लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो लोडेड यानों को उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सड़कों पर पुलों के ऊपर या नीचे से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसे मामलों में आवेदकों को नदियों/नालों को पार करने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

(vii) ट्रांसपोर्टर राज्य / केंद्र शासित प्रदेश / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ एनएचआईडीसीएल या किसी अन्य प्रभावित व्यक्ति को ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जहां सड़कों या सड़क संरचनाओं / पुलों / अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं / व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई नुकसान ट्रेलरों की आवाजाही के कारण होता है।

(viii) सड़क की लंबाई के साथ ट्रेलरों के युग्मन की अनुमति केवल उपरोक्त आवाजाही के लिए होगी।

(ix) उक्त यानों का परिवहन, यातायात के सामान्य प्रवाह में बिना किसी बाधा के होना चाहिए।

(x) यान पर खतरे संबंधी सभी झंडियां और बत्तियां लगी होनी चाहिए, बेहतर यह होगा कि लदे यानों के आगे तथा पीछे एक-एक यान स्पष्ट रूप से यह दर्शाता हुआ चले कि भारी लदा हुआ यान गुजर रहा है।

(xi) सड़क पर चलने के लिए ट्रैलरों की अधिकतम गति 5 कि.मी./घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(xii) ट्रैलरों की संपूर्ण चैड़ाई में अगले एवं पिछले हिस्से पर पीले एवं काले रंग से जेबरा पट्टी बनाई जाएगी और उस पर रात्रि के समय चलाने/ पार्किंग के लिए आगे और पीछे समुचित रूप से लाल बत्ती होनी चाहिए तथा दिन में दोंनों ओर लाल झण्डी लगाई जाएगी, जिससे यान की सही-सही स्थिति का स्पष्ट रूप से पता चल सके।

(xiii) ट्रांसपोर्टर यह सुनिश्चित करेगा कि उपरोक्त आवाजाही के दौरान उपयोग किए जाने वाले सभी यानों के संबंध में रोड टैक्स का भुगतान किया गया है, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा कवर (तृतीय पक्ष बीमा सहित), राष्ट्रीय परमिट और पीयूसी प्राप्त किया गया है।

(xiv) ट्रेलरों और प्राइम मूवर्स के रेजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्रों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा क्योंकि वे पहले से ही हरियाणा, महाराष्ट्र और नागालैंड राज्य में रेजिस्ट्रीकृत हैं।

(xv) किसी यान (यानों) या अन्य रेजिस्ट्रीकृत स्वामियों से प्राप्त यान (यानों) के भाग से उत्पन्न होने वाले मुद्दे की स्थिति में, ट्रांसपोर्टर स्वयं जिम्मेदार होगा।

(xvi) खेप के परिवहन के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकृति का कोई भी मुद्दा, ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी होगी।

[फा. सं. आरटी-11042/09/2021-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd April, 2024

S.O. 1595(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 58 and sub-Section 3(a) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby accords approval for period of twelve months from the date of issue of this notification for transportation of one 'Converter Transformer' from Power Grid, Kaniha (Odisha) to Siemens Transformer Factory, Kalwa, Airoli (Maharashtra) by road with maximum safe laden weight/Gross Vehicles Weight and dimensions, as mentioned in the schedule appended hereto.

SCHEDULE

1. M/s CJ Darcl Logistics Limited is the transporter of M/s Powergrid Corporation of India Limited for transportation of one 'Converter Transformer' for the aforesaid movement.

2. Following Prime Movers will be utilized in the movement of the subject consignment as detailed below:-

Sl. No.	Registration No. of Prime Movers	Make
1.	HR38U7281	VOLVO – FH-520
2.	HR38U9081	VOLVO – FH-520
3.	MH04EL3681	VOLVO – FH-520
4.	MH43U8883	VOLVO – FH-520
5.	NL02K6801	VOLVO – FH-520
6.	MH04HD3273	VOLVO – FM – 440
7.	MH04HD3274	VOLVO – FM – 440
8.	MH04HD3275	VOLVO – FM – 440

3. The following independently registered modular hydraulic Trailers will be utilized in the above movements:-

Sl. No.	Registration No. of Trailers	Make	No. of Axles in Trailers	Permissible Gross Vehicle Weight (in Tons)
1.	HR55P7274	GOLDHOFER	4	104
2.	HR55S9643	GOLDHOFER	4	104
3.	HR55S9651	GOLDHOFER	6	156
4.	HR55S9653	GOLDHOFER	4	104
5.	HR55S9649	GOLDHOFER	6	156
6.	HR55P9946	GOLDHOFER	6	156
7.	HR55P9948	GOLDHOFER	4	104
8.	HR39E6308	TII INDIA PVT LTD	6	156
9.	HR39E5668	TII INDIA PVT LTD	6	156
10.	HR39E0510	TII INDIA PVT LTD	4	104
11.	HR39E7623	TII INDIA PVT LTD	4	104

4. Vehicle and Load Configuration:- Gross Vehicle Weight (GVW) of the axles in laden condition and overall dimension of consignment will be:-

Sl. No.	Consignment Name	Unladen Weight axles in Tons (MT)	Weight of Consignment(MT)	Laden Weight of the Vehicle (MT)	Load Per Axle line (MT)	Laden Height of Vehicle (in meters)	Overall dimension of consignment (in meters)			Description of Coupling of axles in length and width
							L (m)	W (m)	H (m)	
1	Converter Transformer	66	318	384	19.2	6.22	10.6	4.9	5.05	20 axle rows will be coupled in straight line (8 tyres per axle row)

5. The above relaxation is subject to the conditions that:-

i. The specific route for transportation of the over dimensional consignment will be from Kaniha (Odisha) to Airoli (Maharashtra)by road through-

Kaniha – Talcher – Banarpal – Boinda –Redhakhol – Maneswar – Matupalli – Binka – Bisalpalli – Godabhaga – Raipur – Rajnandgaon – Gadchiroli – Ballarpur – Chandrapur – Wansadi – Adilabad – Pipperwada – Kelapur Toll – Daroda – Butibpori – Samriddhi Mahamarg Waifal Toll – Bharvir Khurd – Igatpuri – Ghoti Toll Plaza – Vadape – Kongaon – Kalyancity – Taloja – Shilphata – Mahape – Ghansoli Flyover Bridge - Airoli - (1400 km) ; or

Kaniha – Talcher – Pitiri – Pallahara – Barkote – Deogarh – Tileiban – Sindupank – Maneswar – Matupalli – Binka – Bisalpalli – Godabhaga – Nagpur Bypass – Amravati – Bhusawal – Jalgaon – Dhule – Malegaon – Nashik – Igatpuri - Vadape – Kongaon – Kalyancity – Taloja – Shilphata – Mahape - Ghansoli Flyover Bridge – Airoli. (1841 km)

ii. Load restrictions on various roads and bridges stipulated by the Public Works Department/Local Authorities/National Highway Authority of India/NHIDCL will be observed and permission of such authorities will be obtained before the vehicles are put on the roads. Movement of the trailers will be approved and closely monitored by the concerned road authorities in State/Union Territory/National Highway Authority of India from safety point of view.

iii. The transporter will observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India/NHIDCL may by order specify in this behalf.

iv. The transporter will obtain necessary prior permissions from the concerned departments of the State/Union Territory Government for the removal of any objects like hoardings, poles, signboards, transmission line shutdown etc. and observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India/NHIDCL may by order specify in this behalf, before the vehicles are put on road. Cost of removal and redevelopment of any object permitted by the State/Union Territory Government shall be borne by the M/s CJ Darcl Logistics Limited.

v. The transporter will give intimation at least ten days in advance and would need to obtain permission before commencement of transit, from concerned authority of State or Union Territory Authorities/National Highway Authority of India//NHIDCL en-route, in view of the oversized cargo. For each such movement, the timing should be prescribed by the concerned authority.

vi. If so directed by the Public works Department of a State/Union Territory/National Highway Authority of India/NHIDCL, the loaded vehicles will not be allowed to pass over or under the bridges on the roads in that State/Union Territory and in such cases applicants will have to make their own arrangements to cross the rivers/drains.

vii. The transporter would be liable to pay such amount to the Government of State/Union Territory/National Highway Authority of India/NHIDCL or any other affected person where any damage is caused to the roads or road structures/bridges/other road users/persons directly or indirectly due to the movement of the trailers.

viii. Coupling of the trailers along the length of the road will be permissible only for above movements.

ix. The said vehicles should be moved without any hindrance to the normal flow of traffic.

x. The vehicles should display all danger flags and lights, the vehicles should be preceded and followed by a vehicle displaying prominently that a heavy load is passing.

xi. The maximum speed of the trailers for movement on the road shall not exceed 5 km/hr.

xii. The trailers shall be painted for the entire width by yellow and black zebra stripes on the front and rear sides duly marked for night time driving/parking suitably by red lamps at the front and rear and red flags on both the sides during day time to indicate the extreme position of the vehicle clearly.

xiii. The transporter will ensure that road taxes have been paid, fitness certificate, insurance cover(including Third Party Insurance), National Permit, and PUC have been obtained in respect of all the vehicles to be utilized during the above movement.

xiv. No change will be made in the Registration Certificates of the Trailers and Prime Movers as they are already registered in the state of Haryana, Maharashtra and Nagaland.

xv. In case of issues arising of any vehicle(s) or part of vehicle(s) out sourced from other registered owners, the transporter shall bear responsibility for the same.

xvi. Any issue of any nature arising during the transportation of subject consignment shall be the responsibility of the transporter.

[F. No. RT-11042/09/2021-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.04.02 20:42:06 +05'30'